न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 02/2019

निर्णय दिनांक

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का संसारदेसर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (सायल)

बनाम

मघाराम पुत्र बनाराम कौम जाट साकिन मोटोलाई हाल संसारदेसर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर (गैरसायल)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का संसारदेसर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि गैर सायल मघाराम पुत्र बनाराम कौम जाट साकिन मोटोलाई हाल संसारदेसर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ने कृषि सम्वत् 2076 फसल खरीफ में चक 3 के.डब्ल्यू.एम के मु.न. 176/42 के कि.न. 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 कुल 0.08 बीघा कमाण्ड गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत रूप से तारबन्दी कर अतिक्रमण कर लिया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। गैरसायल नोटिस प्राप्ति के बावजूद अनुपस्थित। अतः गैरसायल के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

उक्त प्रकरण मे गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। गैरसायल के विरूद्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 9 रू अक्षरे नौ रूपये शास्ति आरोपित कर, मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने एवं गैरसायल को बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है ।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों। इजराय पत्रावली अलग से मुर्तीब की जावें।

निर्णय आज दिनांक 3-10-2019... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह नैण)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner